

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-48/2021 - 1869 /पटना, दिनांक- 01/07/2021  
प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0  
विशेष सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)**  
बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Revised Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Muzaffarpur East-2	Bochaha	NH-57 Yatwar Chowk to Sanichrya Yastahl hote huwe Sukrhat Tak	0.800	34.11700	6.72700	2.03300	42.87700
2	Muzaffarpur East-2	Bochaha	Domba Chowk To Sarffudinpur	1.406	58.33900	11.53800	3.04900	72.92600
3	Muzaffarpur East-2	Bochaha	Muradpur Chowk to Hospital via Block Mukhyala	0.891	36.47000	7.53000	1.94400	45.94400
4	Muzaffarpur East-2	Katra	Berial Shayam Bihari Ram Ke ghar to Mhuli PMGSY path tak	0.750	37.43000	6.43200	2.06700	45.92900
5	Muzaffarpur East-2	Katra	Koriari Baigna Lakhapur Road to Bagnatha Path	5.367	168.66000	50.10000	11.54630	230.30630
<b>Total</b>								<b>437.98230</b>

- उक्त योजनाओं का पूर्व में विभागीय पत्रांक-मु0अ0-04-(मु0)-3054-04-149/2019-6486 दिनांक-13.12.2019, मु0अ0-04-(मु0)-3054-04-149/2019-5459 दिनांक-16.10.2019 एवं मु0अ0-04-(मु0)-3054-04-149/2019-2043 दिनांक-30.07.2019 के द्वारा कुल 317.13530 लाख रुपये पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की गयी थी।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।





4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019, 15.07.2019 तथा 05.09.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 01.06.2021 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-48/2021 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजनाओं U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. पुनरीक्षित स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-48/2021 के पृ0-10/टि0 पर दिनांक-29.6.2021 को प्राप्त है।

40

विश्वासभाजन  
 11/7/2021  
 (संजय दूबे)  
 विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-48/2021-1869 /पटना, दिनांक- 01/07/2021  
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8  
11/7/2021  
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-48/2021-1869 /पटना, दिनांक- 01/7/2021  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास  
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य  
विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त,  
मुजफ्फरपुर /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा,  
ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर  
पूर्वी-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को  
MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने  
हेतु प्रेषित।

ML

8  
11/7/2021  
विशेष सचिव